प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दाण्डिक अपील क्रमांक 205/2002

सुमन एवं अन्य

- बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

मैं सहमत हूं।

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 15 फरवरी 2010 को सूचीबद्घ करें।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश
15.02.2010

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दाण्डिक अपील क्रमांक 205/2002

अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण : 1. चंद्रिका पिता बद्री राठौर, उम्र 60 वर्ष, निवासी रांक, थाना सीपत, जिला बिलासपुर. (मृत और विलोपित)

(अभिरक्षा में)

2. सुमन पिता चंद्रिका राठौर उम्र 28 साल, निवासी रांक, थाना सीपत, जिला बिलासपुर.

3. छतराम पिता चंद्रिका राठौर, उम्र 30 साल, निवासी रांक, थाना सीपत, जिला बिलासपुर.

4. नर्मदा बाई पति शनिचराम राठौर, उम्र 30 साल, निवासी रांक, थाना सीपत, जिला बिलासपुर.

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर (छ.ग.)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता ।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री संदीप यादव, उप-शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(15 फरवरी, 2010)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. इस अपील में सत्र विचारण क्रमांक 377/2001 में पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 18-1-2002 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के निर्णय को चुनौती को दी गई है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अन्य सह-अभियुक्तगण मंजरी बाई और बद्रीका बाई को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थीगण को समान आशय से राम कुमार की हत्या के लिए आपराधिक मानव वध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत सिद्धदोष किया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक महीने के अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा।

2. अपीलार्थी क्रमांक 1 चंद्रिका की मृत्यु के कारण, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-9-2008 द्वारा चंद्रिका का नाम वाद शीर्षक की श्रेणी से विलोपित किया गया था।

3. निर्णय इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें उपर्युक्त अनुसार सिद्धदोष किया तथा दंडित किया है और इस प्रकार अवैधानिकता का कार्य की है।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 17-6-2001 के घटना के दिन लगभग संध्या 7 बजे, ग्राम रांक, पुलिस थाना सीपत, जिला बिलासपुर में, मृतक राम कुमार के नातेदार मंजरी बाई और बद्रीका बाई के साथ अपीलार्थीगण ने राम कुमार को अपने घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करने के बाद, सभी अभियुक्तगण ने राम कुमार पर लाठी, हाथ और मुक्कों से हमला किया। राम कुमार की पत्नी फगनी बाई (अ.सा.-1) ने सहायता के लिए पुकारा और अपनी पुत्री कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) को भी घटनास्थल की ओर भेजा। फगनी बाई (अ.सा.-1) की सास, राही बाई (अ.सा.-2) - मृतक अपीलार्थी चंद्रिका की पत्नी, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपीलार्थीगण ने उसके साथ भी मारपीट की। चीखें सुनकर शिवराम, बहोरन यादव, गिरिजा शंकर, राम प्रसाद और दुधारी घटनास्थल पर आए और घटना देखी। अपीलार्थीगण ने कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) पर भी हमला किया। गिरिजा शंकर और राम प्रसाद आहत राम कुमार और अपीलार्थीगण को ले गए। फगनी बाई (अ.सा.-1) पुलिस थाना गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-25 के माध्यम से दर्ज कराई। आहत राम कुमार को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीपत भेजा गया। उनका परीक्षण डॉ. राजेश कुमार (अ.सा.-15) द्वारा प्र.पी-18 के माध्यम से की गई। वह बेहोश थे। दाहिने हाथ की छोटी उंगली का अस्थिभंग, दाहिनी कलाई पर सूजन और बाएं हाथ पर 10 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी का घाव पाया गया। आहत राही बाई (अ.सा.-2) को भी चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया और उनका परीक्षण डॉ. राजेश कुमार (अ.सा.-15) द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्र.पी-19 के माध्यम से की गई। वह बेहोश थीं, बाएं जांघ पर अस्थिभंग का संदेह था और उन्हें जिला चिकित्सालय, बिलासपुर रेफर कर दिया गया दाहिने पैर पर 2 सेमी का घाव, दाहिनी कलाई पर सूजन और कोमलता पाई गई और कलाई में अस्थिभंग होने का संदेह था। उपचार के दौरान, राम कुमार की मृत्यु हो गई। मर्ग सूचना प्र.पी.-28 के तहत दर्ज किया गया। प्र.पी.-14 के तहत साक्षियों को बुलाने के बाद, प्र.पी.-15 के तहत राम कुमार के शव की मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। शव को शव परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय, बिलासपुर भेजा गया और डॉ. सी.एम. तिवारी (अ.सा.-13) द्वारा प्र.पी.-16 के तहत शव परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

(1) बाईं रेडियस हड्डी का अस्थिभंग, जिसमें हेमाटोमा भी शामिल है।

(2) दाहिने हाथ की छोटी उंगली का अस्थिभंग/विसंधान, जिसमें हेमाटोमा भी शामिल है।

(3) बाएँ इन्फ्रा स्कैपुलर क्षेत्र पर 6 सेमी लंबाई का एक घर्षण।

(4) बाएँ ललाट-पार्श्विका क्षेत्र पर 3 सेमी x 1 सेमी x हड्डी जितना फटा हुआ घाव, जिसमें बाएँ ललाट-पार्श्विका हड्डी का हेयरलाइन अस्थिभंग और सबड्यूरल हेमाटोमा शामिल है।

(5) दाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 2 सेमी x 1 सेमी x हड्डी जितना फटा हुआ घाव। चोट संख्या 1 से 4 गंभीर प्रकृति की थीं और मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण कोमा में जाने से हुई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. राही बाई (अ.सा.-2) का एक्स-रे लिया गया और बायीं फीमर में अस्थिभंग पाया गया, जैसा कि प्र.पी-2 में दर्शाया गया है। आहत राम कुमार की दाहिनी छोटी उंगली और बायीं बांह का एक्स-रे भी लिया गया और मध्य पोर और बायीं रेडियस में अस्थिभंग पाया गया, जैसा कि प्र.पी-3 में दर्शाया गया है। विवेचना के दौरान, अभियुक्त चंद्रिका (अब मृत) को अभिरक्षा में लिया गया, और दिनांक 24-6-2001 को उसने प्र.पी-8 के अनुसार छड़ी के बारे में खुलासा किया और उसे चंद्रिका की निशानदेही पर प्र.पी-9 के अनुसार बरामद कर लिया गया।अपीलार्थी छतराम को भी अभिरक्षा में लिया गया, दिनांक 24-6-2001 को उसने प्र.पी-10 के अनुसार छड़ी के बारे में खुलासा कथन प्रस्तुत किया और उसे प्र.पी-11 के अनुसार छतराम से बरामद कर लिया गया। अपीलार्थी सुमन को

भी अभिरक्षा में लिया गया, उसने भी प्र.पी-12 के अनुसार छड़ी के बारे में खुलासा कथन प्रस्तुत किया और उसे सुमन की निशानदेही पर प्र.पी-13 के अनुसार बरामद कर लिया गया।

6. पटवारी ने प्र.पी.-17 के अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया। जब्त की गई वस्तुओं को डॉ. राजेश कुमार (अ.सा.-15) के पास परीक्षण के लिए भेजा गया, जिन्होंने राय दी कि राम कुमार के शव पर मिली चोटें लाठियों के कारण हो सकती हैं। मृतक का बेड हेड टिकट (चिकित्सकीय विवरण) प्र.पी.-24 के अनुसार जब्त किया गया। प्र.पी.-27 के अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा भी तैयार किया गया।

7. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, बिलासपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को सौंप दिया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियुक्तगण के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने लगभग बीस साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने और मिथ्या आरोप लगाने का अभिवाक किया। अभियुक्त व्यक्तियों ने बचाव पक्ष के साक्षी अलख राम (ब.सा.-1) और काशी प्रसाद राठौर (ब.सा.-2) का भी परीक्षण किया और अन्यन्न उपस्थित होने का अभिवाक किया और यह अभिसाक्ष्य दिया कि अज्ञात व्यक्तियों ने खेत में राम कुमार पर हमला किया है, राम कुमार खेत में लेटा हुआ था और वे राम कुमार को उसके घर ले गए, उस दिन फगनी बाई और सुनंदा गांव में मौजूद नहीं थे, वे लगभग 8.30 बजे रात्रि को आए थे और उन्होंने घटना नहीं देखी है।

9. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तगण, मंजरी बाई और बद्रीका बाई को दोषमुक्त कर दिया तथा अपीलार्थीगण को उपरोक्त रीति से सिद्धदोष किया और दण्डित किया।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया।

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि मामला नातेदार साक्षी फगनी बाई (अ.सा.-1), मृतक राम कुमार की पत्नी और बाल साक्षी कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3), मृतक राम कुमार की पुत्री के साक्ष्य पर आधारित है, जो हितबद्ध साक्षी हैं, उनके साक्ष्य लोप और विरोधाभासों से भरे हैं, वे स्वाभाविक साक्षी नहीं हैं और उनके साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अपीलार्थी मृतक के करीबी नातेदार हैं, उन्होंने मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई है, किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक को चोट पहुंचाई है जब वह खेत में मौजूद था। बचाव पक्ष के साक्षी अलख राम (ब.सा.-1) और काशी प्रसाद राठौर (ब.सा.-2) ने अपीलार्थीगण और उनके नातेदारों को सूचित किया है कि किसी ने राम कुमार पर हमला किया है, जिस पर अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति खेत में गए और राम कुमार को उसके घर ले गए। फगनी बाई (अ.सा.-1) एवं सुनंदा (अ.सा.-3) दुर्भाग्यपूण दिन को गांव में उपस्थित नहीं थे। वे 8.30 को आये। अपीलार्थीगण को मिथ्या फंसाया है। वैसे भी, घटनास्थल बाहर से दिखाई नहीं देता है और फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनारिदा (अ.सा.-3) ने घटना नहीं देखा है। घटना को बाहर से देखना भी संभव नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण की निशानदेही पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष ने लाठियों पर रक्त की उपस्थिति साबित नहीं की है, इसलिए अपीलार्थीगण से लाठियों की जब्ती व्यर्थ है। विद्वान अधिवक्ता ने **गेंदिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] के मामले का अवलंब लिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 1986 (1) MPWN 106

जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के अविश्वसनीय परिसाक्ष्य के आधार पर हत्या के आरोप में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **रामधर एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त से बरामद वस्तु पर मानव रक्त की अनुपस्थिति और चक्षुदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य से विश्वास उत्पन्न् नहीं होता, तो दोषसिद्धि संभव नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम मंगू**[3] के मामले का भी अवलंब लिया। जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अकेले चक्षुदर्शी साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि की स्थिति में, अकेले चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य उत्कृष्ट महत्व का होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **पोहप सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**[4] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा असंभाव्य विवरण और संशोधन उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **केरल राज्य बनाम अनिलचंद्रन @ मधु एवं अन्य**[5] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से छेड़छाड़, मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भेजने में काफी विलंब और साक्ष्य में भिन्नता पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **जोसेफ बनाम केरल राज्य**[6] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **राजस्थान राज्य बनाम राजेंद्र सिंह**[7] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस के कथन और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर न्यायालय के कथन में विरोधाभास साक्षी की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न् करता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **जोगिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 2004 (1) CGLJ 370
3 1997 CrLR (MP) 106
4 1998 (1) CCrJ (SC) 132
5 2009 (77) AIC 46 (SC)
6 2003 CrLR (SC) 670
7 1998 SCC (Cri) 1605

राज्य[8] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस साक्षी के विश्वसनीय न होने और निष्पक्ष जांच न होने की स्थिति में दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **सतीश नारायण सावंत बनाम गोवा राज्य**[9] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के पीछे मिली घातक चोट यह दर्शाती है कि आशय मारने या किसी विशेष गंभीरता की चोट पहुंचाने का नहीं था। घटना से पहले तीखे बहस के मामले में जो क्षणिक रूप से हुआ, अपराध भा.दं.सं. की धारा 304 भाग- II के तहत आता है। विद्वान अधिवक्ता ने **हजारी लाल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[10] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विवेचना के दौरान साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों को पुख्ता साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अपील का कड़ा विरोध किया और कहा कि दोषसिद्धि चक्षुदर्शी साक्षी फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3), क्रमशः मृतक की पत्नी और पुत्री, के साक्ष्य पर आधारित है। घटना के समय उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी, उन्होंने घटना देखी और सहायता के लिए चिल्लाईं, जिस पर ग्रामीण आए और आहत राम कुमार को अभियुक्तगण के घर से बाहर निकाला। फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्य विश्वास उत्पन्न् करते हैं, उनके साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथनों के आधार पर हथियारों की बरामदगी से भी पुष्ट होते हैं।

13. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

---

8 1998 CrLR (SC) 320
9 2009 CrLR (SC) 829
10 1980 CriLJ 564

14. वर्तमान मामले में, मृतक के शरीर पर पाई गई घातक चोटों के परिणामस्वरूप उसकी हत्या की बात को अपीलार्थीगण द्वारा पर्याप्त रूप से विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा डॉ. राजेश कुमार (अ.सा.-15), डॉ. सी.एम. तिवारी (अ.सा.-13) और शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-16 के साक्ष्य से भी यह बात स्थापित होती है, जिससे पता चलता है कि मृतक के शरीर पर टेम्पोरल बोन का अस्थिभंग और हेमाटोमा पाया गया था, जो जीवन के लिए घातक था और मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

15. प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि चक्षुदर्शी साक्षी फगनी बाई (अ.सा.-1) मृतक की पत्नी और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) - मृतक की पुत्री के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. फगनी बाई (अ.सा.-1)- मृतक की पत्नी, मृतक अपीलार्थी चंद्रिका की पुत्रवधू और यहां अपीलार्थीगण की साली ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि उस घटना के दिन उनके पति मृतक राम कुमार अपीलार्थीगण के घर के सामने से जा रहे थे, अचानक अपीलार्थी छत्रराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने घर के अंदर खींच लिया, अपीलार्थी सुमन ने भी उनकी गर्दन पकड़ ली और मृतक अपीलार्थी चंद्रिका ने छत्रराम और सुमन को राम कुमार को अपने घर के अंदर खींचने में सहायता की, अपीलार्थी नर्मदा बाई ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उन्होंने उसके पति पर हमला कर दिया। उसके पति ने सहायता के लिए चिल्लाया 'बचाओ बचाओ भागो' जिस पर उसने अपनी पुत्री मिस सुनंदा (अ.सा.-3) को घटना देखने के लिए भेजा और वह भी दूसरे रास्ते से अपीलार्थीगण के घर गई। उसने अपीलार्थीगण से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला वह सहायता के लिए लोगों को बुलाने गई और बहोरन और गिरिजा शंकर के साथ आई। अंत में, उन्होंने अपीलार्थीगण के घर से आहतों को बाहर निकाला। मृतक अपीलार्थी चंद्रिका की पत्नी और मृतक राम कुमार की माँ राही बाई (अ.सा.-2) भी घटनास्थल पर

आईं और घटना का विरोध किया, जिस पर अपीलार्थीगण ने उन पर भी हमला किया। इस साक्षी (फगनी बाई (अ.सा.-1) ने पुलिस थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसके कथन के अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी है।

17. अभियोजन पक्ष ने आहत साक्षी राही बाई (अ.सा.-2) का भी परीक्षण किया है, जिसने अपने रिश्ते को स्वीकार किया है, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। राही बाई (अ.सा.-2) यहाँ अपीलार्थी क्रमांक 2 से 4 की माँ और मृतक अपीलार्थी चंद्रिका की पत्नी है। हालाँकि मृतक राम कुमार भी उसका पुत्र था, ऐसा प्रतीत होता है कि रिश्ते के आधार पर उसने फगनी बाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पुष्टि नहीं की है जो अस्वाभाविक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) ने अपने परिसाक्ष्य में कहा है कि जब उसके पिता अपीलार्थीगण के घर के सामने आ रहे थे, अपीलार्थीगण ने उन्हें पकड़ लिया और अपने घर के अंदर खींच लिया, नर्मदा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उन्होंने उसके पिता के साथ मारपीट की, फिर वह मनहरण के किचन गार्डन से घटना स्थल के पास पहुंची और घटना देखी। उसने घटना में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन विवाद रोकने के बजाय उन्होंने उसकी कमर पर हमला किया। उसकी माँ बहोरन, हेमंत शर्मा, पंचराम और अन्य व्यक्तियों के साथ आई जिन्होंने दरवाजा खुलवाया और उस समय उसकी दादी राही बाई भी आ गई, जब अभियुक्त व्यक्तियों ने राही बाई का पीछा किया और उस पर हमला किया, वह (सुनंदा) बाजार पारा की ओर भाग गई। राम कुमार को चोट पहुंचाने के बाद, अपीलार्थी इस साक्षी के घर आए और उसे, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन पर हमला करने की कोशिश की उसने अपने पिता से पूछा कि किसके कहने पर उसे पीटा गया, तो उसके पिता ने बताया कि क्षतिपूर्ति देने के नाम पर सरपंच के कहने पर

उसे पीटा गया था। वे आहत को पुलिस थाना ले गए जहाँ उसकी माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा है।

19. गेंदराम (अ.सा.-5), राम प्रसाद (अ.सा.-6) और श्रीमती भगा बाई (अ.सा.-7) ने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया है कि राम कुमार की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है।

20. बहोरन (अ.सा.-8) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस घटना के दिन रात्रि लगभग 8 बजे वह पुसाऊ के घर के पास बाजार पारा में बैठा था, जहाँ राम कुमार की पत्नी फगनी बाई (अभि.सा.-1) आई और उसे अपीलार्थीगण के घर ले गई, जहाँ 100-150 लोग खड़े थे, मृतक चंद्रिका और उसके पुत्र भी खड़े थे और चंद्रिका ने उससे कहा कि वह उन्हें पीटने दे और हस्तक्षेप न करे, उस समय फगनी बाई भी आई जिसे चंद्रिका ने धक्का दे दिया। अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. शिवराम (अ.सा.-9) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उस घटना के दिन वह और राम कुमार तालाब से आ रहे थे। वह अपने घर के अंदर गए, राम कुमार आगे बढ़े। कुछ देर बाद चीख-पुकार सुनाई दी और चंद्रिका का घर बंद था। कुछ देर बाद, लोगों ने राम कुमार को घर से बाहर निकाला और पुलिस थाने ले गए। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने घटना नहीं देखी और अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है।

22. पक्षद्रोही साक्षी गेंदराम (अ.सा.-5), राम प्रसाद (अ.सा.-6) और श्रीमती भगा बाई (अ.सा.-7) के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थीगण के घर के पास कोई घटना घटी थी, राम कुमार को चोटें आईं और इन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई। बहोरन (अ.सा.-8) के

साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक अपीलार्थी चंद्रिका अन्य लोगों के साथ मिलकर राम कुमार से विवाद कर रही थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि फगनी बाई ने उसे बताया था कि अपीलार्थी उसके पति पर हमला कर रहे हैं। इसी प्रकार, शिवराम (अ.सा.-9) के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थीगण और राम कुमार के बीच कोई घटना घटी थी, राम कुमार को चोटें आईं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।

23. बचाव पक्ष ने अलख राम (ब.सा.-1) और काशी प्रसाद राठौर (ब.सा.-2) का परीक्षण किया। अलख राम (ब.सा-1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि घटना के समय वहां पूर्ण अंधकार था, घटनास्थल के पास रोशनी की कोई सुविधा नहीं थी, दृश्यता बहुत कम थी, वह अपने घर के पास बैठा था, एक व्यक्ति ने आकर बताया कि किसी ने खेत में राम कुमार पर हमला किया है, फिर मृतक अपीलार्थी चंद्रिका, अपीलार्थी छतराम और आहत राही बाई मृतक राम कुमार को लाने के लिए खेत पर गए और अंततः वे राम कुमार को खेत से उसके घर ले आए। उसने आगे कहा है कि उस दिन फगनी बाई और सुनंदा गाँव में मौजूद नहीं थीं और वे रात्रि 8.30 से 9 बजे के बीच आईं थीं। उसने चंद्रिका के किचन गार्डन का विवरण दिया है और कहा है कि किचन गार्डन एक दीवार और तिजाऊ व जीवन के घरों से घिरा हुआ था, दीवार की ऊँचाई 8-10 फीट है। उसने इस बात का खंडन किया है कि घटना के दिन फगनी बाई और सुनंदा गाँव में मौजूद थीं, घटना के समय अंधेरा नहीं था और राम कुमार खेत में लेटा हुआ नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. एक अन्य बचाव पक्ष के साक्षी काशी प्रसाद राठौर (ब.सा.-2) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटनास्थल के पास कोई रोशनी नहीं थी और अपीलार्थीगण का किचन गार्डन 7-8 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि वह चौक के पास बैठे थे, तभी एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, उसने आकर बताया कि किसी ने खेत में राम कुमार पर हमला किया है, चंद्रिका उसके पास आई, वे खेत में गए और राम कुमार को गांव ले आए। उस समय, फगनी बाई और

सुनंदा अपने घर में मौजूद नहीं थीं, वे बाहर गई थीं और वे लगभग 8.30 से 9 बजे रात्रि को आईं। अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने इन सुझावों से इनकार किया है कि फगनी बाई और सुनंदा गांव में मौजूद थीं, राम कुमार खेत में नहीं लेटा था और किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया।

25. इन साक्षियों (ब.सा.-1 और ब.सा.-2) के साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण करने पर पता चलता है कि वे यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि उन्हें घटना की जानकारी किसने दी, उन्हें कैसे पता चला कि किसी व्यक्ति ने राम कुमार पर हमला किया है और राम कुमार उस खेत में पड़ा था जहाँ वह रहता है और इन साक्षियों को यह कैसे पता चला कि फगनी बाई और सुंदंदा गाँव में मौजूद नहीं थे और वे रात्रि 8.30 से 9 बजे के बीच आए थे, खासकर जब अन्य साक्षियों ने घटना के समय घटनास्थल के पास फगनी बाई की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। बहोरन (अ.सा.-8) ने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि फगनी बाई उसके पास आई और उसे घटनास्थल पर ले गई। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अलख राम (ब.सा.-1) और काशी प्रसाद राठौर (ब.सा.-2) सच नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे सच्चाई को छिपा रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. बचाव पक्ष ने फगनी बाई (अ.सा.-1) का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में वह अपने इस कथन पर अड़ी रही कि अपीलार्थी ही वे लोग हैं जिन्होंने उसके पति को कमरे के अंदर खींच लिया और उसके पति के साथ मारपीट की। उसने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 13 में यह भी कहा है कि उसने अपीलार्थीगण से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला जिस पर वह अन्य लोगों को बुलाने के लिए गांव गई थी। उसने आगे स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण ने उसकी पुत्री सुनंदा और उसकी सास राही बाई के साथ भी मारपीट की। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 22 में उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका घर दो मंजिला है (अस्थायी रूप से इसे पटाव कहा जाता है)। पैरा कंडिका में उसने इस बात से इनकार किया है कि आनंद शर्मा, हेमंत शर्मा और पुसाऊ वस्त्रकार ने उसके पति के साथ मारपीट की है।

उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसके पति के साथ मारपीट करने की बात जानने के बाद अपीलार्थी उसके पति को लाने के लिए घटनास्थल पर गए और वे उसके पति को ले आए। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि वह गाँव में मौजूद नहीं थीं और जब वह गाँव आईं, तो आनंद शर्मा ने उन्हें गुमराह किया कि अपीलार्थीगण ने उनके पति पर हमला किया है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 28 में दिए गए इस तर्क का भी खंडन किया है कि उन्होंने केवल अभियुक्तगण की संपत्ति हड़पने के लिए, जो अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने के बाद उन्हें मिल सकती है, अपीलार्थीगण के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई है।

27. बचाव पक्ष ने कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) का भी विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। उसने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 15 में कहा है कि जब वह घटनास्थल के पास पहुँची और उसने अपने आहत पिता को देखा, जिनके हाथ और पैर में में अस्थिभंग था, अपीलार्थी मदिरा पी रहे थे और उसके पिता पर हमला कर रहे थे। उसने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 19 में दिए गए इस आरोप का खंडन किया है कि उस घटना के दिन वह और उसकी माँ गाँव में मौजूद नहीं थे और जब वे उसके मामा के गाँव से आए, तो उसे पता चला कि आनंद शर्मा और अन्य लोगों ने उसके पिता पर हमला किया है। उसने इस आरोप का भी खंडन किया है कि आनंद शर्मा और अन्य लोगों ने उसे गुमराह किया है, इसलिए उसने अपीलार्थीगण के विरुद्ध मिथ्या शिकायत दर्ज कराई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. राही बाई और सुनंदा की चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया गया और उनके शरीर पर चोटें पाई गईं, जिनमें राही बाई की बाईं जांघ की अस्थी का अस्थिभंग भी शामिल है। घटनास्थल मानचित्र प्र. पी-17 से पता चलता है कि घटना दीवारों और कमरों से घिरे एक खुले आँगन में हुई थी। अपीलार्थीगण का किचन गार्डन भक्कू के घर और किचन गार्डन से सटा हुआ है। दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थीगण ने राम कुमार को अपने घर के अंदर खींच लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वे दूसरी तरफ से गए और घटना देखी। घटना भक्कू के

किचन गार्डन और घर से सटे अपीलार्थीगण के किचन गार्डन से सटे एक खुले आँगन में हुई और किसी व्यक्ति का दूसरी तरफ से भक्कू के किचन गार्डन और अपीलार्थीगण के किचन गार्डन की ओर घटनास्थल के पास पहुँचना पूरी तरह संभव था।

29. फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्य से पता चलता है कि सभी अपीलार्थी कमरे के अंदर मौजूद थे, उन्होंने राम कुमार को घर के अंदर खींच लिया और राम कुमार के साथ घर के अंदर केवल चार व्यक्ति मौजूद थे। राम कुमार उनके घर के अंदर आहत अवस्था में पाया गया। बहोरन (अ.सा.-8) के परिसाक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मृतक अपीलार्थी चंद्रिका और उसके पुत्र, अर्थात अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3, अपने घर में खड़े थे। चंद्रिका ने इस साक्षी से कहा कि वह उन्हें पीटने दे और उसे हस्तक्षेप नही करना चाहिए। यह साक्षी फगनी बाई (अभि.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अभि.सा.-3) के परिसाक्ष्य की पुष्टि करता है कि मृतक अपीलार्थी चंद्रिका और उसके पुत्रों सुमन और छतराम ने राम कुमार पर हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) क्रमशः मृतक की पत्नी और पुत्री हैं, और मृतक की निकट संबंधी भी हैं, लेकिन उनके साक्ष्य को रिश्ते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अन्यथा भी, नातेदार ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो असली अपराधी को छोड़ने और निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या फंसाने के लिए अनिच्छुक होते हैं।

31. फगनी बाई (अ.सा.-1) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थीगण ने प्रतिकर के भुगतान के आधार पर सरपंच के कहने पर राम कुमार को चोट पहुँचाई है, लेकिन पुलिस ने उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया है। उन्होंने उन्हें अभियुक्त के रुप शामिल काने का पूरा प्रयत्न किया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें अभियुक्त अभियुक्त के रुप शामिल नहीं किया है। उनके साक्ष्य से पता चलता है कि प्रतिकर के भुगतान से संबंधित विवाद था। फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा

(अ.सा.-3) के साक्ष्य में कुछ लोप और विरोधाभास हैं। दं.प्र. सं. की धारा 161 के तहत दर्ज कथन एक संक्षिप्त कथन है और न्यायालय में दर्ज किया गया कथन एक विस्तृत कथन है, इसलिए दोनों कथनों में विरोधाभास और लोप स्वाभाविक हैं। साक्षियों के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उनमें विरोधाभास और लोप हैं।

32. 'एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या' की उक्ति भारत में लागू नहीं होती। किसी भी साक्षी के कथन को इस आधार पर पूरी तरह से खारिज या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि साक्षियों ने एक या एक से अधिक अभियुक्तगण को स्पष्ट रूप से मिथ्या फंसाया है या उसका कथन कुछ अभियुक्तगण के लिए विश्वसनीय नहीं है। किसी साक्षी के कथन पर कुछ अभियुक्तगण के लिए अवलंब लिया जा सकता है और कुछ अभियुक्तगण के संबंध में उसे खारिज या अस्वीकृत किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. उस व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए जिसने बढ़ा-चढ़ाकर और कुछ हद तक स्पष्ट रूप से मिथ्या कथन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने **लक्ष्मण एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[11] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्षियों को पूरी तरह से मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता और उनके परिसाक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके अभिसाक्ष्य के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध प्रदर्शित किये गये है। सुसंगत अंश इस प्रकार है:

> "साक्ष्य पर आगे चर्चा करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि प्राध्यापक मुंस्टरबर्ग ने "ऑन द विटनेस स्टैंड" (पृष्ठ 51) नामक अपनी पुस्तक, "लॉ एंड द मॉडर्न माइंड" (देखें: 1949 संस्करण, पृष्ठ 106) में ऐसे प्रयोगों के उदाहरण दिए हैं जिनमें लोगों के सामने अचानक अप्रत्याशित पूर्वनियोजित धारावाहिक का अभिनय किया गया और फिर उनसे

11 AIR 1974 SC 308

शीघ्र ही यह लिखने को कहा गया कि उन्होंने क्या देखा और सुना था। आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ:

"उन लोगों के मुँह में शब्द डाले गए जो उस पूरे छोटे से घटनाक्रम के दौरान मूक दर्शक बने रहे; मुख्य प्रतिभागियों पर ऐसे कृत्य थोपे गए जिनका लेशमात्र भी अस्तित्व नहीं था; तथा दुखद-हास्य के आवश्यक अंश अनेक साक्षियों की स्मृति से पूरी तरह मिटा दिए गए थे।"

इसलिए, प्राध्यापक ने निष्कर्ष निकाला: "हम कभी नहीं जानते, या कल्पना नहीं करते"। इसलिए, साक्षियों को पूरी तरह से मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता और उनके परिसाक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके अभिसाक्ष्य के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध हों। एक विवेकशील न्यायाधीश स्वीकार्य सत्य को अतिशयोक्ति और असंभावनाओं से अलग कर सकता है, जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार या कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अनिवार्य रूप से अपूर्ण मानवीय परिसाक्ष्य के मूल्य का आकलन करते समय, इस कहावत को "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" यंत्रवत् लागू करने से इनकार करना एक सामान्य बुद्धि है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. **सुच्चा सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य**[12] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

'एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या' को न तो आम स्वीकृति मिली है और न ही इस सिद्धांत को विधि के नियम का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह केवल सावधानी का नियम है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि ऐसे मामलों में परिसाक्ष्य को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, न कि उसे नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत में केवल साक्ष्य के भार का प्रश्न शामिल है जिसे न्यायालय किसी निश्चित परिस्थिति में लागू कर सकता है, लेकिन इसे 'साक्ष्य का आज्ञापक नियम' नहीं कहा जा सकता। उक्त निर्णय का कंडिका 18 इस प्रकार है-

---

12 AIR 2003 SC 3617

"18. *पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह (एआईआर 1973 एससी 2407) और लहना बनाम हरियाणा राज्य (2002 (3) एससीसी 76}* का निर्णय भी इसी प्रभाव का है। अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने की वांछनीयता के बारे में तर्क देने के लिए कुछ साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार न करने पर जोर दिया था। संक्षेप में प्रार्थना "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ऑम्निबस" (एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या) के सिद्धांत को लागू करने के लिए है। यह तर्क स्पष्ट रूप से अस्थिर है। भले ही साक्ष्य का बड़ा हिस्सा अपर्याप्त पाया जाता है, अगर किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अवशेष पर्याप्त हैं, तो कई अन्य सह-अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने के बावजूद, उसकी सजा यथावत रखी जा सकती है। सत्य को मिथ्या को पृथक करना न्यायालय का कर्तव्य है। किसी विशेष महत्वपूर्ण साक्षी या महत्वपूर्ण विशेषता का मिथ्या होना उसे प्रारंभ से अंत तक बर्बाद नहीं करेगा। "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" की कहावत भारत में लागू नहीं होती और साक्षियों को मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता। "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" की कहावत को आम तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है और न ही इस कहावत को विधि के शासन का दर्जा मिला है। यह केवल सावधानी का नियम है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि ऐसे मामलों में परिसाक्ष्य को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, न कि उसे नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत में केवल साक्ष्य के भार का प्रश्न शामिल है जिसे न्यायालय किसी निश्चित परिस्थिति में लागू कर सकता है, लेकिन इसे 'साक्ष्य का आज्ञापक नियम' नहीं कहा जा सकता। {देखें निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1957 एससी 366)}। केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है, हालाँकि जहाँ तक चक्षुदर्शी साक्षी का प्रश्न है, उन सभी के विरुद्ध साक्ष्य एक जैसे थे, इसका यह आवश्यक परिणाम नहीं है कि जिन लोगों को सिद्धदोष किया गया है, उन्हें भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला होता है कि वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषमुक्त किए गए अभियुक्तगण और सिद्धदोष किये गए अभियुक्तगण के बीच अंतर करे। {देखें गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1956 एससी 460)}। यह सिद्धांत विशेष रूप से भारत में एक भयंकर सिद्धांत है, क्योंकि यदि साक्ष्य के पूरे समूह को केवल इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि साक्षी स्पष्ट रूप से किसी न किसी रूप में असत्य बोल रहा था, तो यह आशंका है कि दांडिक न्याय प्रशासन ठप हो जाएगा। साक्षी किसी कहानी को, चाहे वह मूलतः कितनी भी सच्ची क्यों न हो, विस्तार देने में सहायता नहीं कर सकते। इसलिए, प्रत्येक मामले में यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि साक्ष्य किस हद तक स्वीकार्य है, और केवल इसलिए कि न्यायालय कुछ मामलों में उसे किसी साक्षी के परिसाक्ष्य पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त मानता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि विधि के रूप में उसे सभी मामलों में भी नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। साक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उपरोक्त उक्ति एक कठोर नियम नहीं है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा साक्षी मिलता है जिसका साक्ष्य इसमें मिथ्या का एक कण भी नहीं है या किसी भी दर पर अतिशयोक्ति, कढ़ाई या अलंकरण नहीं है। [सोहराब पिता बेली नायता और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1972 (3) एससीसी 751} और उग्र अहीर और अन्य बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1965 एससी 277) देखें]। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक प्रयास किया जाना चाहिए कि उपयुक्त रूपक के संदर्भ में, अनाज को भूसे से, सत्य को मिथ्या से अलग किया जाए। जहां सत्य को मिथ्या से अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि अनाज और भूसा अभिन्न रूप से मिश्रित हैं, और अलगाव की प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को संदर्भ और पृष्ठभूमि से पूरी तरह से अलग करके एक बिल्कुल नए मामले का पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिसके विरुद्ध उन्हें बनाया गया था, एकमात्र उपलब्ध रास्ता साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करना है। {ज़िंगली एरियल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1954 एससी 15) और बलाका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1975 SC 1962)}। जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कल्कि व अन्य (AIR 1981 SC 1390) में प्रतिपादित किया है, साक्ष्य में सामान्य विसंगतियाँ वे होती हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, घटना के समय सदमे और भय जैसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण होती हैं और ये विसंगतियाँ हमेशा बनी रहती हैं, चाहे साक्षी कितना भी ईमानदार और सत्यनिष्ठ क्यों न हो। तात्विक विसंगतियाँ वे होती हैं जो सामान्य नहीं होतीं और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होतीं। न्यायालयों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होता है जिसमें किसी विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जहाँ सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करतीं, वहीं तात्विक विसंगतियाँ ऐसा करती हैं। हाल ही में कृष्णा मोची व अन्य बनाम बिहार राज्य आदि (2002 (4) JT (SC) 186) में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। इस मामले में अभियुक्त-अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुके हैं। जहां तक दोषमुक्त और दोषसिद्ध किये गए अभियुक्तों का संबंध है, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य में विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया है।""

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. उपरोक्त विधिक प्रावधान के आलोक में और बहोरन (अ.सा.-8) के साक्ष्य के संदर्भ में, यदि हम फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्य का परीक्षण करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मृतक अपीलार्थी चंद्रिका और उसके पुत्र ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने राम कुमार पर हमला किया था। दोनों चक्षुदर्शियों ने यह प्रमाणित किया है कि इन तीनों व्यक्तियों ने राम कुमार पर हमला किया था और उन्होंने कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) पर भी हमला किया था। चंद्रिका, सुमन और छत्रराम द्वारा राम कुमार को पहुँचाई गई चोटों और इन व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले के संबंध में फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्यों में, यहाँ तक कि बहोरन (अ.सा.-

8) के साक्ष्य में भी, एकरूपता है, लेकिन नर्मदा बाई द्वारा किए गए हमले या उनकी भूमिका के संबंध में असंगतता है।

36. जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगू (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के मामले में, साक्ष्य का मानक उत्कृष्ट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान प्रकरण में, दोषसिद्धि केवल एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित नहीं है। मंगू (पूर्वोक्त) का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न् है। इसी प्रकार, गेंदिया (पूर्वोक्त) के मामले की तरह, वर्तमान मामला एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित नहीं है। वर्तमान मामले में, फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास और लोप हैं, लेकिन वे मामूली प्रकृति के हैं और मामले के वास्तविकता को प्रभावित नहीं करते हैं। गेंदिया (पूर्वोक्त) का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. वर्तमान मामले में, फगनी बाई (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उसके कहे अनुसार और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने किसी अन्य व्यक्ति को अभियुक्त के रुप में शामिल नहीं किया है। उसने यह अभिसाक्ष्स नहीं दिया है कि पुलिस ने इन अभियुक्तगण के विरुद्ध मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। अगर फगनी बाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य को सही मान लिया जाए, तो यह माना जा सकता है कि पुलिस उन अन्य व्यक्तियों को अभियुक्त बनाने में विफल रही है जिनके कहने पर अपीलार्थीगण ने आहतों पर हमला किया है, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में छेड़छाड़ की है। इसलिए, अनिलचंद्रन (पूर्वोक्त) का मामला भी तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से भिन्न है।

38. फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्य की बारीकी से अध्ययन करने पर, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के उस कथन के आलोक में जिस पर बचाव पक्ष ने अवलंब लिया है, अपीलार्थी नर्मदा बाई के विरुद्ध साक्ष्य इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के नहीं हैं कि उनके विरुद्ध यह अनुमान लगाया जा सके कि उन्होंने अपराध में भाग लिया है। यहां तक कि

अपीलार्थी नर्मदा बाई की अपने घर में उपस्थिति मात्र, जो स्वाभाविक थी, से भी उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, फगनी बाई (अ.सा.-1) और कुमारी सुनंदा (अ.सा.-3) के साक्ष्य की पुष्टि बहोरन (अ.सा.-8) के साक्ष्य से होती है, जो यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि इन अपीलार्थीगण (मृतक अपीलार्थी चंद्रिका, सुमन और छत्रराम) ने राम कुमार को अपने घर के अंदर खींच लिया था अपीलार्थीगण ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतक अपीलार्थी चंद्रिका, सुमन और छत्रराम के घर के अंदर जब राम कुमार उनकी अभिरक्षा में था, तो उसे चोटें कैसे आईं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, राम कुमार के शरीर पर पाई गई गंभीर चोटों का स्पष्टीकरण देना उनका दायित्व था। राम कुमार को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना अपीलार्थी छत्रराम, सुमन और मृतक अपीलार्थी चंद्रिका के विरुद्ध एक ठोस प्रतिकूल परिस्थिति है, और यही इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि इन अभियुक्तगण ने राम कुमार को घातक चोटें पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत सिद्धदोष किया है, किन्तु अपीलार्थी नर्मदा बाई से संबंधित साक्ष्यों में असंगति पर विचार नहीं किया है, विशेष रूप से राही बाई और सुनंदा को केवल तीन व्यक्तियों द्वारा पहुँचाई गई चोटों और मृतक अपीलार्थी चंद्रिका के साथ उसके पुत्रों की उपस्थिति के आलोक में, जिससे अपीलार्थी नर्मदा बाई द्वारा अपराध कारित करने में भाग लेने और इस प्रकार अवैध कार्य करने की संभावना समाप्त हो जाती है।

40. अपीलार्थी सुमन, छतराम और मृतक चंद्रिका की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत ठोस और विधिक साक्ष्यों पर आधारित है, किन्तु अपीलार्थी नर्मदा बाई से संबंधित साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि उन्होंने समान आशय से मृतक राम कुमार को भी चोटें पहुँचाई हैं और राम कुमार की मृत्यु का कारण बनी हैं। अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी नर्मदा बाई की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत स्थिर रखने योग्य नहीं है।

41. उपर्युक्त पूर्वगामी कारणों से, हमारा यह सुविचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी नर्मदा बाई की दोषसिद्धि और दण्डादेश विधि के अंतर्गत स्थिर रखने योग्य नहीं हैं, किन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी सुमन और छत्रराम की दोषसिद्धि और दण्डादेश विधि के अंतर्गत स्थिर रखने योग्य नहीं हैं।

42. फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी सुमन और छत्रराम की दोषसिद्धि और दण्डादेश एतद्द्वारा यथावत रखे जाते हैं, किन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी नर्मदा बाई की दोषसिद्धि और दण्डादेश एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं, उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Aniruddha Shrivastava Advocate